



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-02082022-237814
CG-UP-E-02082022-237814

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3446]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944

No. 3446]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

रेल मंत्रालय

(उत्तर मध्य रेलवे)

(निर्माण विभाग)

अधिसूचना

झाँसी, 28 जुलाई, 2022

का. आ. 3611(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के झाँसी जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् "झाँसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (411 किमी)" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन झाँसी जिला झाँसी उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा; उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना झांसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए झांसी जिले के झांसी तथा मऊरानीपुर तहसील में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्लॉट सं.	क्षेत्रफल (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	झांसी	बनगुवाँ	37/1	0.405
2			37/2	0.405
3			37/3	0.095
			योग	0.905
4		हरपुरा	992	0.022
5			994	0.061
			योग	0.083
6	मऊरानीपुर	रोरा	705	0.041
7			706	0.032
8			707	0.036
9			708	0.049
10			709	0.008
			योग	0.166
11		भटपुरा	463	0.026
12			464	0.012
13			465	0.013
14			467	0.159
15			468	0.146
			योग	0.356

[ई.फा.सं.एन.सीआर.-एच.क्यू.शून्य सी.ई.एन.जी. (भूमि)/5/2022-ओ/ओ डिप्टी. सी.ई./सी.-I झांसी (कम्प्यूटर नं. 60371) दिनांक 12.04.2022]

शरद मेहता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
(NORTH CENTRAL RAILWAY)
(Construction Department)

NOTIFICATION

Jhansi, the 28th July, 2022

S. O. 3611(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, “**Jhansi-Khairar-Manikpur and Khairar-Bhimsen doubling Railway Project (411 km)**” in the district of Jhansi in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Special Land Acquisition Officer, Joint Organisation Jhansi, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely Jhansi-Khairar-Manikpur and Khairar-Bhimsen doubling (411 Km.) Project Under Jhansi and Mauranipur Tehsil of Jhansi District in the State of Uttar Pradesh.

S. No.	Tehsil name	Village Name	Plot No.	Area (Hec.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jhansi	Bangan	37/1	0.405
2			37/2	0.405
3			37/3	0.095
			Total	0.905
4		Harpura	992	0.022
5			994	0.061
			Total	0.083
6	Mauranipur	Rora	705	0.041
7			706	0.032
8			707	0.036
9			708	0.049
10			709	0.008
			Total	0.166
11		Bhatpura	463	0.026
12			464	0.012
13			465	0.013
14			467	0.159
15			468	0.146
			Total	0.356

[e-F. No. NCR-HQ0CENG(LAND)/5/2022-O/o DY.CE/C- I/JHS(Computer No.60371) dated 12.04.2022.]

SHARAD MEHTA, Chief Administrative Officer (Construction)